POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 22.05.2026

1.थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा फर्जी कंपनियां बनाकर उनके नाम से बैंक खाता खुलवाकर साइबर धोखाधड़ी से संबंधित धनराशि प्राप्त करने वाले गैंग के 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 22.05.2026 को थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व तकनीकि संसूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए फर्जी कंपनी चलाकर उनके नाम से विभिन्न बैंकों में खाते खुलवाकर साइबर धोखाधड़ी से संबंधित धनराशि प्राप्त करने वाले गैंग के 03 अभियुक्त 1- अविनाश झा पुत्र मिथलेश झा 2- हिमांशु कुमार पुत्र मदन प्रसाद यादव 3- जितेन्द्र दहिया उर्फ आशू पुत्र विजय कुमार को सेक्टर-44 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 05 मोबाइल फोन, 2800 रुपये नकद व मोहर एवं विभिन्न अभिलेख प्राप्त किए गए हैं।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण-- पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने फर्जी कंपनियां बनाकर उनके नाम से करंट बैंक खाते खुलवाए थे। इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी और अन्य धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि को प्राप्त करने तथा विभिन्न माध्यमों से उसे आगे ट्रांसफर कर वैध दिखाने के लिए किया जाता था। जांच में इन खातों में करोड़ों रुपये का संदिग्ध लेन-देन पाया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अविनाश झा पुत्र मिथलेश झा निवासी स्वरुप विहार, दिल्ली, उम्र 29 वर्ष।
2. हिमांशु कुमार पुत्र मदन प्रसाद यादव निवासी स्वरुप विहार, दिल्ली, उम्र 26 वर्ष।
3. जितेन्द्र दहिया उर्फ आशू पुत्र विजय कुमार निवासी नागलोई, दिल्ली, उम्र 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 055/2026 धारा 318(4), 336(3), 61(2) बीएनएस व 66(डी) आईटीएक्ट, थाना साइबर क्राइम, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त 05 मोबाइल फोन ।
2. 2800 रुपये नकद।

3. 01 मोहर एवं विभिन्न अभिलेख

महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा सुझाव--

1. किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने नाम से बैंक खाता, कंपनी या फर्म रजिस्टर न कराएं और न ही किसी को अपना बैंक खाता उपयोग करने दें।
2. बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, इंटरनेट बैंकिंग अथवा यूपीआई आईडी किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध न कराएं।
3. किसी भी संदिग्ध निवेश, नौकरी, लोन, टास्क, ट्रेडिंग या अधिक लाभ के प्रलोभन वाले ऑनलाइन ऑफर पर बिना सत्यापन विश्वास न करें।
4. ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन, नेट बैंकिंग पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें।
5. किसी अज्ञात लिंक पर क्लिक करने अथवा अनजान मोबाइल एप डाउनलोड करने से बचें।
6. बैंक खाते में असामान्य लेन-देन दिखाई देने पर तत्काल बैंक एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।
7. किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें अथवा [राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल] https://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
8. अपने बैंक खाते का उपयोग केवल वैध और व्यक्तिगत/व्यावसायिक लेन-देन के लिए करें। किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर धनराशि प्राप्त करने या ट्रांसफर करने से बचें।

2.थाना सेक्टर-39 पुलिस द्वारा कार का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के ₹10000/- नकद व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 22.05.2026 को थाना सेक्टर-39 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कार का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले अभियुक्त 1. विशाल शर्मा उर्फ ढोला पुत्र हरीकिशन 2. सनी पुत्र रमेश को सदरपुर से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध शस्त्र व चोरी के ₹10000/- नकद संबंधित मु0अ0सं0-199/2026 जिनमें से अभियुक्त विशाल शर्मा के कब्जे से 6000 रुपये नकद व 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस व अभियुक्त सनी जाटव के कब्जे से 4000 रुपये नकद व 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

पूछताछ का संक्षिप्त विवरण--

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 09.05.2026 की रात्रि में उन्होंने शर्मा मार्केट, सदरपुर में खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर ₹2,00,000/- चोरी किए थे। चोरी की गई धनराशि को दोनों ने आपस में बराबर-बराबर बांट लिया था। अधिकांश धनराशि उन्होंने अपने खर्च एवं मौज-मस्ती में खर्च कर दी, जबकि बरामद

₹10,000/- उसी चोरी की धनराशि में से शेष बचे हुए हैं। अभियुक्तों ने बताया कि बरामद तमंचा एवं चाकू वे लोगों को डराने-धमकाने के लिए अपने पास रखते हैं। अभियुक्त विशाल उपरोक्त एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. विशाल शर्मा उर्फ ढोला पुत्र हरीकिशन निवासी सदरपुर, सेक्टर-45 नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र 29 वर्ष।
2. सनी पुत्र रमेश निवासी रती का नगला, थाना सिकंद्राराऊ, हाथरस वर्तमान पता सदरपुर, सेक्टर-45 नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र 40 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

A.अभियुक्त विशाल शर्मा उपरोक्त--

1. मु0अ0सं0 0199/2026 धारा 303(2),324(4),317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 0132/2014 धारा 392/506/411 भादवि, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 0578/2016 धारा 392/411 भादवि, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 0729/2017 धारा 307 भादवि, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 1038/2018 धारा 392/506/411 भादवि, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 1039/2018 धारा 411/414 भादवि, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 0151/2016 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व 420 भादवि, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0 0730/2017 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व 420/482/468/471 भादवि, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
9. मु0अ0सं0 0215/2017 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

1. 10. मु0अ0सं0 0216/2017 धारा 25आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

10.मु0अ0सं0 0393/2020 धारा 25/3 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
11.मु0अ0सं0 1040/2018 धारा 60/63 आबकारी अधि0, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
12.मु0अ0सं0 0866/2018 धारा 379 भादवि, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
13.मु0अ0सं0 0171/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
14.मु0अ0सं0 0788/2022 धारा 60, 63 आबकारी अधि0, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
15.मु0अ0सं0 0467/2023 धारा 323, 504, 506 भादवि, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
16.मु0अ0सं0 0134/2024 धारा 25, 3 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
17.मु0अ0सं0 0249/2023 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
18.मु0अ0सं0 0145/2023 धारा 379, 411 भादवि, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
19.मु0अ0सं0 0180/2023 धारा 25, 4 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
20.मु0अ0सं0 0648/2025 धारा 324(2),303(2),317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
21.मु0अ0सं0 0044/2026 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधिनियम, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

B.अभियुक्त सनी उपरोक्त--

1. मु0अ0सं0 0199/2026 धारा 303(2),324(4),317(2) बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 432/2023 धारा 414 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी के ₹10000/- नकद
2. 01 तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस
3. 01 अवैध चाकू